कार्यालय ज़िला अधिकारी, रामपुर।

पत्रांक–जि0अ0/त0नि0प्रको0/2018–19/5440

दिनांक– 02.08.2018

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालय अध्यक्ष ए0आर0टी0ओ0
जनपद रामपुर।

विषयः– जनपद में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के प्रति जन–मानस को जागरूक करने तथा तम्बाकू नियंत्रण हेतु समस्त कार्यालयों एवं समस्त इकाइयों में येलो लाइन कैम्पेन चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक–राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2018–19/1557 लखनऊ दिनांक 26.07.2018 द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।इसी के साथ सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के अनुपालन हेतु शपथ, रैली एवं येलो लाइन कैम्पेन के माध्यम से आम–जनमानस से जागरूक करें, जिस से तम्बाकू से होने वाली हानियों से बचा जा सके।

उक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप माह अगस्त, 2018 में (01.08.2018 से 30.08.2018 तक राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं सी0ओ0टी0पी0ए0–2003 के क्रियान्वयन हेतु "तम्बाकू से आज़ादी" (Freedom from Tobacco) अभियान चालकर समस्त सरकारी प्रतिष्ठानों पर जन–मानस कार्यक्रम चलाये जायें तथा मा0 प्रधानमंत्री द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सरकारी प्रतिष्ठानों में तम्बाकू छोड़ने हेतु 15 अगस्त, 2018 को झण्डा रोहण के बाद शपथ दिलायी जायेगी।इसी के साथ आप अपने अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को यह निर्देशित करना सुनिश्चित करें के वह अपने विभाग में सिगरेट एवं तम्बाकू के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध करें तथा अपने कार्यालय के बाहर "धूम्रपान निषेध क्षेत्र व यहाँ धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है"। लिखा हुआ 60 x 30 से0मी0 का साइनेज लगवाना सुनिश्चित करें।

उक्त सम्पूर्ण गतिविधियों को सम्पन्न कराये जाने की रूप–रेखा इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इसी के साथ यह भी कहना है कि आप दिनांक 15 अगस्त, 2018 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय में तम्बाकू को सेवन न करने की शपथ लेते हुए कार्यालय प्रमुख सहित समस्त कर्मचारियों की एक फोटो व कार्यालय से बाहर येलो लाइन के साथ ली हुयी एक फोटो अधोहस्ताक्षरी को ई0मेल0 rampur.ntcp123@gmail.com पर दिनांक 17.08.2018 को सॉयः 05:00 बजे तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

02.08.18

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
ज़िलाधिकारी
रामपुर।

पत्रांक– पत्रांक–जि0अ0/त0नि0का0प्रको0/2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
02. राज्य नौडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र00 लखनऊ।
03. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रामपुर।

(महेन्द्र बहादुर सिंह)
ज़िलाधिकारी